पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार
कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।
थावे रोड, जंगलिया, गोपालगंज – 841428 ई. मेल–dfogopalganJ2@gmail.com Mob No. 9471080005

पत्रांक 631 / दिनांक 10-06-2021 /

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह, भा.व.से.
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।

सेवा में ,

श्री विद्यासागर यादव,
पिता–श्री शिवनारायण यादव,
ग्राम–लखडवा, पो0–एच.पी.ओ.
सीवान जिलस–सीवान।

विषयः– **श्री विद्या सागर यादव, द्वारा सीवान जिलान्तर्गत ग्राम–मोहिउदीनपुर के खाता संख्या–258, 268, 263, खेसरा संख्या 1668, 1669, 1670 में एस.एच. 47 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के कम में पहुँच पथ निमार्ण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01251 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करनें के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार, का पत्रांक एफ.सी. 136 दिनांक 11.02.2020, एवं इस कार्यालय का पत्रांक 430 दिनांक 24.02.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सीवान जिलान्तर्गत ग्राम–मोहिउदीनपुर के खाता संख्या–258, 268, 263, खेसरा संख्या 1668, 1669, 1670 में एस.एच. 47 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के कम में पहुँच पथ निमार्ण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.01575 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रॉची स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय से कुल 13 अधिरोपित शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अधिरोपित शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्रदान की गयी है। उक्त अधिरोपित शर्तो के आलोक में आपके द्वारा निम्नवत राशि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.01251 हे0 के लिए एन.पी.वी. की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 7,832.00 रू0 मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विभागीय को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. हरित पट्टी बनाये रखने हेतु भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्त के आलोक में 100 (एक सौ) लौह गैवियन क्षतिपुरक वनरोपण की राशि 7,52,635 (सात लाख बावन हजार छः सौ पैतीस) रूपये मात्र (प्राक्कलन की प्रति संलग्न) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रयोक्ता एजेंसी उपयुक्त कंडिका–1 एवं 2 पर अंकित राशि को विभागीय वेवसाईट–Parivesh.nic.in से सर्वप्रथम ई–चलान जेनरेट करने के उपरान्त डाउनलोड किया जायेगा तथा सम्बन्धित बैंक खाता में हस्तानान्तरित किया जायेगा।

F:\PETROL PUMP\STAGE-II Vidya Sagar.docx

Scanned with CamScanner

उक्त जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्गत Challan No या UTR No. मूल प्रति के साथ दी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रासंगाधीन पत्र में उल्लेखित अधिरोपित शेष शर्ते का पूर्ण अनुपालन सूनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ताकि अंन्तिम स्वीकृति (Stage-II) Clearance प्राप्त करनें हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक—यथोक्त

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज

ज्ञापांक 631 / दिनांक 10-06-2021 /

प्रतिलिपिः—वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज

F:\PETROL PUMP\STAGE-II Vidya Sagar.docx

Scanned with CamScanner